

विज्ञापन क्रमांक / 2021–22

दिनांक

पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती/परिसीमित
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) के रिक्त 200 पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जावेगी। पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवारों से, ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं :—

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि – 03.12.2021 (शुक्रवार) से 30.12.2021 तक (रात्रि 11.59)
2. परीक्षा आयोजन की तिथि (संभावित) – 23 जनवरी 2022 (रविवार)

पदनाम – पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर)

श्रेणी – तृतीय श्रेणी कार्यपालिक

वेतनमान – 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)

(1) रिक्त पदों का विवरण :—

1.1 खुली सीधी भर्ती :—

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्ग	पद संख्या	दिव्यांगजन श्रेणी							
			1	2	3	4	क	ख	ग	घ
पर्यवेक्षक, 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)						क	ख	ग	घ	योग
			अना.	42	1	1	1	—	03	
			अ.ज.जा.	32	—	1	1	1	03	
			अ.जा.	12	1	—	—	—	01	
			अ.पि.व.	14	—	—	—	—	—	
			योग	100	02	02	02	01	07	

1.2 परिसीमित सीधी भर्ती :—

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्ग	नियमित पद	बैकलॉग पद	योग	दिव्यांगजन श्रेणी									
					1	2	3	4	5	6	क	ख	ग	घ
पर्यवेक्षक, 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)										क	ख	ग	घ	योग
			अना.	41	—	41	1	1	1	—	03			
			अ.ज.जा.	31	03	34	—	1	1	1	1	03		
			अ.जा.	11	—	11	1	—	—	—	—	01		
			अ.पि.व.	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—	
			योग	97	03	100	02	02	02	01	07			



३२

टीप:- दिव्यांगजनों के कॉलम में दर्शाये गये क, ख, ग, घ से आशय-



1. क—अंध एवं निम्न दृष्टि,
2. ख—बाधिर एवं श्रवण शक्ति ह्रास,
3. ग—चलन दिव्यांगता (अस्थि बाधित) जिसके अंतर्गत प्रमस्तिस्क घात, रोग मुक्त कुछ, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित और पेशीय दुष्प्रोषण भी है।
4. घ—स्वपरापण बौधिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थ्यता।

(2) पद संबंधी अन्य जानकारी :-

- 2.1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- 2.2. खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल जारी प्रावीण्य सूची/चयन सूची जारी तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 200 पदों के अतिरिक्त पदों के भर्ती के लिए अनुमति दी जाती है तो अनुमति दी गई पदों की संख्या तक इस प्रावीण्य सूची/चयन सूची से नियमानुसार पर्यवेक्षकों की पदपूर्ति की कार्यवाही मान्य अवधि तक की जा सकेगी।
- 2.3. खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रावीण्य सूची के आधार पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जावेगा।
- 2.4. परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग अंतर्गत राज्य में 10 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये है।
- 2.5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी(सी) क्रमांक 591/2012, रिट पिटी/सी क्रमांक 592/2012, रिट पिटी (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटी (सी) क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 2.6. पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि है।

(3) पात्रता की शर्तें –

- 3.1 खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ:-
 - 3.1.1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि।
 - 3.1.2. निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिये अर्थात् यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिये पत्र नहीं होगी।
- 3.2 परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के लिये शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी अर्हताएँ :–
 - 3.2.1. 10+2 पद्धति से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।

3.2.2. निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक को अवश्य होना चाहिये अर्थात् यदि कोई आवेदिका इस वर्ष की हायर सेकेण्डरी/बारहवी की परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास हायर सेकेण्डरी/(10+2) बारहवी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं होगी।

3.2.3. 01 जनवरी 2021 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष तक की सतत सेवा छ.ग. राज्य के किसी शासकीय आ.बा. केन्द्र (बाल विकास परियोजना—ओरछा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल करते हुये) में पूर्ण करते हुए चयन उपरान्त अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत हो।

टीप— विभागान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों (ओरछा परियोजना सहित) के ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 01 जनवरी 2021 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और स्नातक उपाधि धारण करती हों तथा आयु इत्यादि संबंधी शर्तों को पूर्ण करती हों, खुली सीधी भर्ती परीक्षा तथा परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों में भाग ले सकती हैं।

3.3 आयु सीमा :— उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अन्य विशेष वर्ग जैसे :— छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की आयु के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि विभिन्न संवर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीप— आयु की गणना परीक्षा की तिथि के ठीक आगामी वर्ष के 01 जनवरी (01.01.2022) से की जावेगी।

(4) नियुक्ति की अन्य शर्तें :—

4.1. आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

4.2. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

4.3 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

4.4 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

4.5 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है, कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है, या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा

रहा है, तो उसका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

- 4.6 विलम्ब से प्राप्त होने आवेदन पत्र/अपूर्ण आवेदन पत्र/अस्पष्ट आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(5) चयन प्रक्रिया:-

- 5.1 चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा लिखित प्रतियोगी चयन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पृथक-पृथक होंगे।
- 5.2 खुली सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा कुल 200 अंक का तथा समय 03 घंटे एवं परिसीमित सीधी भर्ती प्रतियोगी चयन परीक्षा कुल 200 अंक का तथा समय 03 घंटे का होगा। दोनों ही प्रतियोगी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
- 5.3 प्रतियोगी चयन परीक्षा दो पाली में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।
- 5.4. पर्यवेक्षक पद पर चयन, आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांकों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर होगा। योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे। उपरोक्त प्रावीण्य सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
- 5.5 खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की प्रावीण्य सूची पृथक-पृथक तैयार की जायेगी।
- 5.6 लिखित परीक्षा के लिये उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर व्यापमं द्वारा आबंटित परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिये यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
- 5.7 समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन उम्मीदवारों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि किसी उम्मीदवार की जन्मतिथि एवं प्राप्तांक भी समान होने की स्थिति में पर्यवेक्षक पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र/अंकसूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
- 5.8 चयन हेतु उम्मीदवार की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, आयुक्त/संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर को होगा।
- 5.9 चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही पद पर उपस्थिति मान्य किया जायेगा।

3

5.10 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5.11 चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा लिया जावेगा, साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

(6) प्रावीण्य सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना राज्य के किसी भी क्षेत्र में की जा सकेगी।

(7) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी। परिवीक्षा अवधि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80%, एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं विभाग द्वारा समय—समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत किया जावेगा।

(8) चयन उपरान्त अभिलेखों का भौतिक सत्यापन—

चयनित उम्मीदवार को चयन उपरान्त/कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नानुसार समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

- 8.1 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- 8.2 जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्मतिथि का उल्लेख हो।
- 8.3 विहित शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र।
- 8.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) के शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- 8.5 दिव्यांग उम्मीदवार को नियुक्ति के समय चिकित्सा मंडल का निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा पर्यवेक्षक के कार्य संपादन के संबंध में उपयुक्तता का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8.6 परिसीमित सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण करने एवं चयन उपरान्त अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत रहने के संबंध में संबंधित बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु जारी प्रथम नियुक्ति आदेश।
- 8.7 उम्मीदवार यदि केन्द्र या राज्य शासन के अधीन अन्य विभागों में कार्यरत हो तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।